

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूँ, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मेरठ, मीरजापुर, रायबरेली, संतकवीरनगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2025

विषय: उOप्रO राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके संO-335/39-प्रशिO/पीOसीOटीO/2025-26, दिनांक 28.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उOप्रO राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से प्राधिकरण को रुO 2,52,49,950/- की धनराशि एवं जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत रुO 2,93,42,500/- में से माह जून में आयोजित की जाने वाली बाढ़ मॉक एक्सरसाइज हेतु 44 जनपदों को रुO 50,000/- प्रति जनपद की दर से कुल रुO 22,00,000/- (रुपये बाइस लाख मात्र) की धनराशि सम्बंधित जिलाधिकारी के निवर्तन पर आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर जनपद स्तर पर प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05-03-2025 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों/मॉकड्रिल/शोध अध्ययनों के आयोजन/संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रिपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से स्वीकृत धनराशि रुO 2,93,42,500/- में से माह जून में आयोजित की जाने वाली बाढ़ मॉक एक्सरसाइज हेतु निम्नलिखित 44 जनपदों को रुO 50,000/- प्रति जनपद की दर से धनराशि रुO 22,000,00/- (रुपये बाइस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्रOसंO	जनपद	धनराशि (रुपये में)
1.	मथुरा	50,000/-
2.	अलीगढ़	50,000/-

3.	कासगंज	50,000/
4.	प्रयागराज	50,000/
5.	फतेहपुर	50,000/
6.	कौशाम्बी	50,000/
7.	आजमगढ़	50,000/
8.	बलिया	50,000/
9.	मऊ	50,000/
10.	बरेली	50,000/
11.	बदायूँ	50,000/
12.	शाहजहांपुर	50,000/
13.	बस्ती	50,000/
14.	संतकबीरनगर	50,000/
15.	सिद्धार्थनगर	50,000/
16.	चित्रकूट	50,000/
17.	बांदा	50,000/
18.	हमीरपुर	50,000/
19.	बहराइच	50,000/
20.	बलरामपुर	50,000/
21.	गोण्डा	50,000/
22.	श्रावस्ती	50,000/
23.	अयोध्या	50,000/
24.	बाराबंकी	50,000/
25.	गोरखपुर	50,000/
26.	देवरिया	50,000/
27.	कुशीनगर	50,000/
28.	महाराजगंज	50,000/
29.	जालौन	50,000/
30.	कानपुरनगर	50,000/
31.	फर्रुखाबाद	50,000/
32.	कानपुर देहात	50,000/
33.	कन्नौज	50,000/
34.	लखनऊ	50,000/
35.	हरदोई	50,000/
36.	लखीमपुर खीरी	50,000/
37.	रायबरेली	50,000/
38.	सीतापुर	50,000/
39.	उन्नाव	50,000/
40.	मेरठ	50,000/

41.	मिर्जापुर	50,000/-
42.	वाराणसी	50,000/-
43.	गाजीपुर	50,000/-
44.	चन्दौली	50,000/-
योग (रुपये बाइस लाख मात्र)		22,00,000/-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों का होगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 22,000,00/- (रुपये बाइस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
SHAIENDRA MANI TRIPATHI
Date: 04-06-2025 18:47:05
(शैलेंद्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-615(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/06/2025

प्रेषण संख्या:- 615
आवंटन आदेश संख्या:- 001-615
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 466794	50000 466794
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
5	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
6	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
7	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
8	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
9	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
10	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
11	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
12	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
13	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
14	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
15	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
17	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
18	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
19	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
20	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
21	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	42-अन्य व्यय	योग
22	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
23	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
24	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
25	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
26	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
27	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
28	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
29	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
30	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
31	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
32	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
33	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
34	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
35	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
36	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
37	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
38	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
39	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
40	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
41	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
42	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
43	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
44	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 50000 50000	50000 50000
	योग	वर्तमान प्रगामी 2200000 2616794	2200000 2616794

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस लाख सोलह हजार सात सौ चौरानवे


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।